संख्या– 273/VI-I/2008-4(4)2007

प्रेषक,

एन0एस0नेगी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक ,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेल अनुभाग

देहरादून: दिनांक 17 नवम्बर ~~सितम्बर,~~ 2008

विषयः– सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं हेतु दिशा–निर्देश विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1244/सि.सर्वि.प./2008–09, दे0दून दिनांक 19 जून 2008 तथा कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2– उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय एवं प्रदेश सरकार के कार्मिक हेतु प्रत्येक वर्ष अनेक खेलों में अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताएं आयोजित करायी जाती है, (सूची संलग्न) इसका मुख्य उद्देश्य केन्द्र एव राज्य के शासकीय कार्मिकों को राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर प्रदान करना है, जिससे कि, ये कार्मिक अपने को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ बनायें रख सकें। सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु निम्नानुसार नियमावली बनाये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता हेतु प्राविधानित धनराशि के संचालन हेतु एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें, उत्तराखण्ड शासन के निम्न अधिकारी सदस्य होगें :–

1. सचिव खेल, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव सामान्य प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर सचिव/निदेशक खेल उत्तराखण्ड ।
4. अपर सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन।

(2) **वित्तीय व्यवस्था एवं संचालन** – वित्तीय संसाधनों के प्रतिपूर्ति हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा सम्यक अनुदान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रदान किया जायेगा। धनराशि के आहरण एवं वितरण से पूर्व समिति का अनुमोदन आवश्यक होगा। उक्त धनराशि निदेशक खेल, उत्तराखण्ड के निवर्तन पर रखी जायेगी तथा व्यय का प्रस्ताव निदेशक खेल, उत्तराखण्ड द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। जिस पर उपरोक्त समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(3) **पात्रताएं** :–राज्य के शासकीय कार्मिक (पुलिस एवं सेना को छोड़कर) अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में भाग लेने के पात्र होगें। यह योजना शासन के समस्त कार्यालयों व विभागों (केवल पुलिस विभाग को छोड़कर) में कार्य करने वाले कर्मचारियों, जो कि राज्य सरकार के नियमकारी नियंत्रण (रूल मेकिंग कन्ट्रोल) में है, तथा जिनका वेतन अधिष्ठान बजट से दिया जाता है, पर लागू होगी। कार्य प्रभारित कर्मचारियों (वर्कचार्ज एम्पलाईज्ड) तथा वह स्टाफ जिसका वेतन प्रसांगिक व्यय में से किया जाता है, पर यह योजना लागू नहीं होगी।

(4) **राष्ट्रीय अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को अनुमन्य सुविधाएं** :–

(क) अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों, मैनेजर एवं प्रशिक्षको को प्रदेश के अन्दर व प्रदेश के बाहर दैनिक भत्ता एवं यात्रा भत्ता जो श्रेणी एक के अधिकारियों को अनुमन्य है, प्रदान किये जायेंगें, जो कि आठ घंटे से अधिक विश्राम पर लागू होगा। यात्रा

,वधि में 12 से 24 घंटे की यात्रा के लिए रू0 100/– प्रतिदिन की दर से यात्रा की अवधि में (जर्नी एलाउन्स) भत्ता देय होगा। किन्तु 12 घंटे से कम किन्तु 8घंटे से अधिक अवधि की यात्रा के लिए 1/2 की दर से यात्रा भत्ता देय होगा। 8 घंटे से कम यात्रा पर किसी भी प्रकार का कोई भी दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

(ख) अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली प्रदेशीय टीम के खिलाड़ियों को खेल किट प्रदान किया जायेगा जिसका अधिकतम मूल्य रू0 1200.00 से अधिक नहीं होगा। टीम के कोच व मैनेजर को किट्स सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

(5) **टीमों की चयन प्रकिया** :–प्रदेश की सिविल सर्विसेज टीमों के लिए निम्नानुसार चयन प्रकिया अपनायी जायेगी:–

(i) खेल विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनपद स्तर पर जिला कीड़ाधिकारी द्वारा समिति गठित कर चयन ट्रायल्य आयोजित कराये जायेंगे। जनपद स्तर पर चयनित खिलाड़ियों की सूची के साथ जिला कीड़ाधिकारी राज्य स्तरीय ट्रायल्स में भाग लेने हेतु खिलाड़ियों को भेजेगें। खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा राज्य स्तरीय चयन ट्रायल्स आयोजित करके प्रदर्शन के आधार पर प्रदेशीय टीम का चयन किया जायेगा। तत्पश्चात चयनित खिलाड़ियों के चयन का प्रस्ताव प्रस्तर–2 में उल्लिखित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(ii) जनपदों से राज्य स्तरीय ट्रायल्स में भाग लेने वाले राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों को कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा। प्रदेशीय ट्रायल्य की अवधि तथा अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अवधि का भी विशेष अवकाश भी सम्बन्धित विभाग द्वारा ही स्वीकृत किया जायेगा।

(iii) शासन द्वारा टीम के मैनेजर का चयन किया जायेगा, जिसके संबंध में निम्न प्रकिया एवं मानकों का पालन किया जायेगा :–

(अ) मैनेजर हेतु राजपत्रित अधिकारी को वरीयता दी जाय।

(ब) मैनेजर बनने हेतु ऐसे कर्मचारी/अधिकारी को वरीयता दी जानी चाहिए, जिससे किसी खेल में अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता में खिलाड़ी के रूप में भाग लिया हो।

(स) किसी खेल में संबंधित खेल का खिलाड़ी न मिलने की दशा में अन्य खेल/खेलों में भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता खिलाड़ी के रूप में खेले हुए व्यक्ति को विकल्परूप में मैनेजर नियुक्त किया जा

(द) ऐसे खिलाड़ी को वरीयता दी जाय जिसे प्रतियोगिता आयोजन का भी अनुभव हो।

(य) जिनके आचरण के विरूद्ध खिलाड़ी अथवा मैनेजर के रूप में शिकायतें प्राप्त हुई हो, मैनेजर नहीं बनाया जायेगा।

(र) जिसने पूर्व में मैनेजर नियुक्त होने के पश्चात दो माह से अधिक समय में व्यय विवरण व रिपोर्ट प्रेषित न की हो, मैनेजर नहीं बनाया जायेगा।

(ल) तीन अथवा तीन से अधिक बार मैनेजर नियुक्त हो चुका हो, उसे मैनेजर नहीं बनाया जायेगा।

(द) अतएव अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं हेतु प्रदेशीय टीम का मैनेजर बनने के इच्छुक एवं उपरिवर्णित निर्णयानुसार पात्र, राज्य कर्मचारी अधिकारी निर्धारित प्रपत्र पर अपने आवेदन पत्र, आवश्यक प्रमाण–पत्रों सहित खेल अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित कर सकते हैं।

(iv) वर्ष में एक खिलाड़ी को एक ही प्रतियोगिता में चयन किया जायेगा। यदि वह खिलाड़ी किसी अन्य खेल में विशिष्ट स्तर रखता हो तो अधिकतम् दो खेलों के लिए ही उसका चयन किया जायेगा।

(v) अ) प्रदेशीय सिविल सर्विसेज टीम का प्रशिक्षक उसी को नामित किया जाय, जो उस खेल में राष्ट्रीय खेल संस्थान का डिप्लोमा धारक हो।

ब) यदि डिप्लोमा धारक प्रशिक्षक उपलब्ध न हो तो अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी को प्रशिक्षक नामित किया जाय।

स) यदि उपरोक्त दोनों श्रेणी के प्रशिक्षक उपलब्ध न हो, तो जिस खेल हेतु प्रशिक्षक नामित किया जाना है, उस खेल विशेष की अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी के रूप में कम से कम 02 वर्ष प्रदेश स्तरीय सिविल सर्विसेज टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी को प्रशिक्षक नामित किया जा सकता है।

द) किसी खिलाड़ी कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलने या निलम्बित होने की स्थिति में उसे प्रशिक्षक नामित किये जाने विषयक आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

य) प्रदेशीय सिविल सर्विसेज टीम के कोच बनने के इच्छुक अधिकारी उपरोक्त वर्णित सूचना /अभिलेखों सहित निदेशक,खेलकूद उत्तराखण्ड को आवेदन पत्र प्रेषित करेगें।

(vi) प्रतियोगिता में प्रतिभाग के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र निदेशक खेल को यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–261 (एन.पी.) वित्त अनुभाग–3/2008 दिनांक–24 सितम्बर, 2008 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय

(एन0एस0नेगी)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या–273/VI-I/2008–4(4)2007/तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मण्डलायुक्त कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष।
4. समस्त जिलाधिकारी।
5. समस्त जिला कीड़ा अधिकारी।
6. वित्त अनुभाग–3
7. मीडिया सेन्टर।
8. एन0आई0सी0।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव